ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-7* August- 2020
Innovation The Research Concept

भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक परिवर्तन का स्वरुप और नारियों की स्थिति पर उसका प्रभाव

The Nature of Socio Cultural Change in India and Its Impact on the status Women

Paper Submission: 17/08/2020, Date of Acceptance: 29/08/2020, Date of Publication: 30/08/2020

संगीता गौतम
एसोसिएट प्रोफेसर,
चित्रकला विभाग,
एस0 एस0 खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

देवत्व के प्रतीकों में प्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है। लक्ष्मी–नरायण, उमा–महेश, शची–पुरंदर, सीता–राम, राधे–श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और उसके पश्चात नर का उल्लेख होता है। माता का कलेवर और संस्कार बालक बनकर इस संसार में प्रवेश पाता है और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाता है। वह मानुषी दिख पड़ते हुए भी वस्तुतः देवी है। उसके नाम के साथ प्रायः देवी शब्द जुड़ा भी रहता है। श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए। भाव–संवेदना, धर्म–धारणा और सेवा–साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है।

Amongst the symbols of divinity, the first place is female and the second is male. In the Deva pairs like Lakshmi-Narayan, Uma-Mahesh, Shachi-Purandar, Sita-Ram, Radhe-Shyam, the first woman is mentioned and then the male. As a child and sanskar of the mother, one enters the world and takes steps towards progress. She is virtually a goddess even though she looks human. The word Devi is also often associated with her name. Only the best and the senior should agree. His seniority is seen to be in the form of sentiment, sentiment, religious belief and service-practice.

मुख्य शब्द : आदिशक्ति, वैदिक काल, महिला सशक्तिकरण ,स्वतंत्रता संग्राम, महिला कल्याण अधिनियम, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय महिला आयोग ,वैश्वीकरण, चुनौतियां।

Adishakti, Vedic Period, Women Empowerment, Freedom Struggle, Women's Welfare Act, Social Consciousness, National Commission For Women, Globalization, Challenges.

प्रस्तावना

नारी को स्रष्टि की अनुपम कृति माना गया है। भरतीय नारी को सम्पूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। नारी प्रकृति में सदा विद्यमान रहती है। शक्ति स्वरूपा नारी की पूजा सदियों से चली आ रही है। नारी की तुलना हरि से की जाये तो अत्योक्ति नही होगी।

भारत में नारी को आदिशक्ति मानने की धरणा रही है। आज भी नवरात्रों के अवसर पर 'देवी' की पूजा करते हुए यह श्लोक पढ़ा जाता है–

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।[2]

(दुर्गा सप्तशती 5/ 32–35)

इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज विशेषकर हिन्दू परिवारों में स्त्री को 'देवी–शक्ति' के रूप में देखा जाता है। 'देवी' माँ सहचरी आदि रूपों में नारी का स्थान सर्वोपरी रहा है।

भारत वर्ष विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जहाँ प्राचीन काल से ही नारी की महिमा का गुणगान एवं सम्मान हुआ है। वेदों में उसे पुरूष के समकक्ष रखा गया। उसे जीवन का मूल तत्व कहकर देवी , महादेवी, गृहलक्ष्मी, मूध्वर्जा, सम्रागी बादि संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। कालिदास और तुलसीदास के बारे में कहा गया है किवे अपनी पत्नियों के कारण ही ज्ञानी बन सकें। मनुस्मृति[3] में कहा गया है कि–

'कार्येषु मन्त्री, कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता, रमणेसु रम्भा।
धर्मानुकाला, समयाधरित्री, भार्या च षाड़गुण्यवतीह दुर्लभाः।।

नारी, माता, पत्नी आदि भूमिकाओं को अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से निर्वाहन करती है।

जहॉ वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी परन्तु मुस्लिम शासन के आठ सौ वर्षों के शासन काल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय, शोचनीय हो गई। इस काल में स्त्रियों को एक वस्तु की भांति देखा जाता था। उनका रूपवती होना उनके लिए एक अभिशाप के समान था। उन्हें सन्तों जैसी जीवन चर्या व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाता था इससे वह जीवन और समाज में अलग–थलग पड़ गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह जौहर व सती होकर आत्महत्या करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी। तथा इसके साथ ही बाल–विवाह, सती–प्रथा, पर्दा–प्रथा आदि जैसी कुरीतियाँ इसी काल में प्रारम्भ हुई। मुगलों के आक्रमण, शासन व अत्याचार के करूण इतिहास के कारण उन्हें अपमान, पीड़ा, तिरस्कार आदि का विषपान करना पड़ा।[4] ब्रिटिश काल में महिलाओं के सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में कुछ सुधार हुए। अंग्रेजों ने जिन बादशाहों व राजाओं पर विजय प्राप्त की उनकी बहु–बेटियों को वासना के काम में लाने की इच्छा नहीं रखी क्योंकि उनका मूल उद्देश्य हिन्दुस्तानियों को मूर्ख बनाकर यहॉ पर अपना शासन बनाये रखना था, उन्होनें सामाजिक जीवन में पर्दाप्रथा और सती–प्रथा का उन्मूलन करके महिलाओं के सम्मान में वृद्धि तथा सामाजिक व व्यक्तिगत चेतना हेतु महिला–शिक्षा का प्रसार किया।

महिला सशक्तिकरण के लिए नारी ने विभिन्न तरीके से पाश्चात्य जगत और भारत वर्ष में आन्दोलन का विगुल बजाया। पाश्चात्य जगत में आंदोलन की कमान महिलाओं ने परिवारिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संभाली। इस आंदोलन ने स्त्रियों को जागरूक, सचेत व एक जुट होकर संघर्ष करने का मार्ग दिखलाया। इस संघर्ष ने पुरूषों को स्त्रियों का शत्रु मान लिया गया तथा उन्होंने लिंगभेद को समाप्त करने के लिए अपनी आवाज को बुलन्द किया। इस आन्दोलन को 'विमेन लिब' का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है–नारी स्वातंत्रय।[5]

वहीं भारत वर्ष में इन आंदोलनों के अगुआ महिलाएं न होकर पुरूष सुधारक थे। ये वही पुरूष सुधारक थे, जिन्हें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन समाज सुधारकों ने नारी जागरण व समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों तथा सती–प्रथा, बाल –विवाह, बहु–विवाह, पर्दा–प्रथा, कन्या–वध, अनमेल विवाह , अशिक्षा, दहेज–प्रथा आदि को दूर करने का प्रयास किया। इन समाज सुधारकों की केन्द्र बिन्दु नारी थी। क्योंकि इन्हें पता था कि इन कुरीतियों को हटाए बिना समाज सुधार का दावा खोखला और अस्वीकार्य होगा। अतः उन्होंने नारी का आधार मानकर सुधार आन्दोलन चलाये। इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक–राष्ट्रीय नवजागरण के अगण्य नेता भी आंदोलन के प्रणेता बने। पुरूषों द्वारा भारतीय नारी चेतना का यह उद्घोष विश्व महिला आन्दोलन की एक अनुपम विशिष्टता बनी। तथा भारतीय नारी चेतना के इसी प्रवाह को भारतीय महिला आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया गया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। 1857ई0 से आरम्भ हुये इस आन्दोलन में अनेक रानियों, महारानियों, वीरांगनाओं ने अपने त्याग, व बलिदान से अदम्य वीरता, साहस, रण कौशल, शासन प्रबन्ध, बुद्धिमानी का परिचय दिया। जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन धीरे–धीरे आगे बढ़ा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी नित्य–प्रतिदिन बढ़ने लगी। गांधी जी से सम्पर्क में आने के बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गॉधीजी द्वारा चलाये गये आंदोलन, भारत छोड़ों आन्दोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। इन आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका के लिए गॉधीजी ने इनकी भूरि–भूरि सराहना की और कहा कि ''भारतीय नारियों का यह साहसपूर्ण कार्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा''।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात संविधान निर्माण से लेकर 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक कुछ महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। संविधान में महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए स्त्री पुरूष को समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया जिसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अभ्युत्थान सदा सम्भव है, यदि अपने आस–पास के लोंगों के उत्थान में उसका योगदान होता है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं है कि वे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए कितना प्रयत्न करती है बल्कि यह है कि वे कितना आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान के साथ अपने समान और राष्ट्र की भलाई के लिए अपना योगदान करती है।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का ज्वलंत प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है–महिलाओं की राजनैतिक, आध्यात्मिक, समाजिक, आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। इसमें अकसर सशक्तिकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है।

सशक्तिकरण सम्भवतः निम्न प्रकार की क्षमताओं को मिलाकर सम्भव है–[6]

(1) स्वयं द्वारा निर्णय लेने की शक्ति होना।
(2) उचित निर्णय लेने के लिए जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता हो।
(3) सामूहिक निर्णय के मामले में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता।
(4) बदलाव लाने की क्षमता पर सकरात्मक विचारों का होना।
(5) स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता।
(6) अन्यों की विचार धारा को लोक तान्त्रिक तरीके से बदलने की क्षमता।
(7) विकास प्रक्रिया तथा चिरन्तर व स्वयं की पहल द्वारा बदलावों के लिए भागीदारी।
(8) स्वयं की सकरात्मक छवि में वृद्धि एवं नकरात्मक छवि से उबरना।

महिलाऐ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इसलिए राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जा सकता है।

भारत में महिला कल्याण संबन्धी गतिविधियों का संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने और संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये गये है। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना प्रणाली का केन्द्रीय विषय रहा है। 1970 के दशक में जहॉ कल्याण की अवधारणा अपनायी गयी वहीं 1980 के दशक में 'विकास पर जोर दिया गया। 1990 के दशक से महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रहें।

पाश्चात्य जगत में नारी सशक्तिकरण का विषय वर्तमान में सभी राष्ट्रों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। सभी राष्ट्रों को इस बात का अनुमान है कि अपने देश के विकास के लिए देश में रहने वाली आधी जनसंख्या, यानि स्त्रियों के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। अन्यथा देश की प्रगति इनको अनदेखा करके नहीं की जा सकती।

अतः इन विकसित व विकासशील देशों ने महिला विकास के सन्दर्भ में गम्भीरता से सोचते हुये सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक क्षेत्रों में उन्हें अधिकार प्रदान किये है। सर्वप्रथम महिला शिक्षा के बल दिया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया।[7] भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि जाति, वर्ग, धर्म, रंग–भेद के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। महिलाओं की स्थिति पुरूषों के समकक्ष–बनाने एवं उनके विकास की दशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गये है। उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं।

सरकार द्वारा महिलाओं के संरक्षण व उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिये अनेक अधिनियमों की व्यवस्था की है। इन अधिनियमों में अपराधी को कड़े दण्ड दिए जाने का प्रावधान किया है। दहेज निषेध अधिनियम 1967 (संशोधित 1986), बाल–विवाह अवरोध अधिनियम (1929), संशोधित 1976, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1986, ये अधिनियम महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को देखते हुए बनाये गये हैं। अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1986, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधयेक 2007, आदि अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त है।[8]

महिलाओं में सामाजिक चेतना ओर जागरूकता उत्पन्न करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाने हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के लिये विभिन्न व अनेक विकासात्मक ओर कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन किया है।ये योजनाये विकास को ध्यान में रखते हुयें बनाई जा रही हैं तथा महिलायें अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की मॉग न्यायालय में अपील करके, अपने विकास के बारे में सोच सकती हैं।

मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर–सरकारी संगठन, महिलाओं को सशक्त व उनके उत्थान के बारे में विचार करते हैं। ये सगंठन भारतीय नारी को जागरूक, शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर तथा सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने के लिये संकल्पित है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिये ये संस्थाये अपनी सक्रिय व सशक्त भूमिका के माध्यम से, समाज में जागरूकता द्वारा , महिलाओं के प्रति उनकी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को एक ऐसा स्थान मिला, जहाँ पर महिलायें निःसंकोच रूप से अपनी आपबीती को बता पाती हैं। ये संस्थान महिला परामर्श देने के साथ–साथ उन्हें कानूनी, आर्थिक व अन्य प्रकार के संरक्षण देने में उनका सहयोग करती है।

वैश्वीकरण के कारण संचार साधनों की बढ़ती भूमिका ने नई संचार–क्रांति को जन्म दिया है, जिसके कारण क्रांति ने पूरे विश्व को एक–दूसरे से चंद सेकंड के फासले पर ला खड़ा किया है। संचार साधनों का महिलाओं पर सकरात्मक व नकरात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। संचार साधनों के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता व जीवन–स्तर में गुणत्मक परिवर्तन आए हैं। वहीं बाजार की बाजारवादी, उपभोक्तावादी, मानसिकता ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर आक्रमण किया है। वे उनका उपयोग उसे सशक्त बनाने के लिये नहीं अपितु अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिये कर रहीं हैं। वे महिलाओं का प्रयोग, उपभोक्ताओं को रिझाने के लिये करते हैं।

जहाँ एक ओर वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहीं हैं, वहीं उनके विकास मार्ग में कुछ बाधाएँ व चुनौतियाँ भी आ रही है जो उसके विकास में एक अवरोधक का काम कर रही है। कन्या भ्रूण हत्या, मृत्यु–दर की अधिकता, अशिक्षा, देह–व्यापार, हिंसा, आर्थिक पिछड़ापन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपेक्षा, अधिकारों के ज्ञान का अभाव, दहेज राजनीतिक क्षेत्र में कम भागीदारी आदि समस्यायें चुनौती बनकर उभर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की बात आज सम्पूर्ण विश्व में सुनाई दे रही है, परन्तु यह भी कटु सत्य है कि जब तक महिलाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जड़ से समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो पायेगा।

एक महिला सम्पूर्ण परिवार की धूरी होती है। उसका कर्तव्य है कि वह परिवार व कार्य क्षेत्र में सन्तुलन बनाये। महिलायें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले ताकि

बच्चे चरित्रवान् बन सकें। फलतः देश को अच्छे नागरिक प्राप्त हो सकेगें।

समाज में फैली हुई कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास रचनात्मक कार्यो व समाजिक सेवा कार्यों, श्रमदान आदि विभिन्न प्रकार से सहयोग कर महिलायें देश के उत्थान में अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं।[9]

इतना तो सत्य है कि इस पुरूष प्रधान समाज में, इतनी विषमताओं के पश्चात् भी भारतीय नारी ने समाज में अपना एक अस्तित्व बनाया है किन्तु यह भी सत्य है कि ऐसी नारियों की संख्या अभी भी बहुत कम है तथा अभी भी वह अपनी कार्य क्षमता एवं बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि आज नारी स्वयं की अस्मिता को पहचानकर पतनोन्मुख समाज को पुनः उत्थान एवं विकास की ओर ले जाए, यह उसके सामने चुनौति भी है और उसका उत्तरदायित्व भी।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय नारी के समक्ष चुनौतियों की संख्या कम नहीं है। हर कदम पर उन्हें चुनौती स्वीकार करनी है और इन चुनौतियों को स्वीकार करके ही वह अपना उत्तरदायित्व को निभा सकती है। उसे स्मरण रखना होगा कि वही देवी है। रणचंड़ी है। सौम्या है। और वही सृष्टि की जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं, और कहा भी है ''जननी–जन्मभूमिश्च स्वर्ग दापि गरीयसी''।

सृष्टि की इस जननी को अपने दोषों को पहचानकर उन्हें स्वीकार करके दूर करना होगा। तभी उसका विकास सम्भव हो सकेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से नारी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है यथा अशिक्षा यौन उत्पीड़न आर्थिक पिछड़ापन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपेक्षा और भागीदारी इत्यादि तमाम चुनौतियों के लिए हम महिला सशक्तिकरण के द्वारा किस तरह से महिला की स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं यही मेरे अध्ययन का उद्देश्य रहा है।

निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण, महिला के विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब महिला का विकास होगा तभी वह समाज के निर्माण व देश के उत्थान में सकरात्मक भूमिका निभा सकेगी। इसके लिये आवश्यक है कि समाज को भी महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार व मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. सत्थकेतु विद्यालंकार, भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृष्ठ संख्या–445*
2. *दुर्गा सप्तशती 5/32–35*
3. *मनुस्मृति – 1.24*
4. *परन्टी, डी0 एल0, प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ संख्या – 293*
5. *राम चन्द्र शुक्ल, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, पृष्ठ संख्या – 173*
6. *भारतीय दर्शन भाग 1, पृष्ठ – 49, डॉ. राधाकृष्णन*
7. *अग्रवाल नीता व आकांक्षा त्रिपाठी (2014–15) मानव विकास अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, पृष्ठ संख्या – 538*
8. *वही – पृष्ठ संख्या – 542*
9. *डॉ. राधकृष्णन, भारतीय दर्शन, भाग–1, पृष्ठ संख्या – 50*